न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 25/2019 तारीख रजू 27.05.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. ललित गुप्ता पुत्र श्री शंकरलाल मथुरिया निवासी खण्डार जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक एवं खाद्य कारोबार कर्ता) मैसर्स विष्णु ट्रेडर्स खण्डार जिला सवाई माधोपुर।
2. रतनलाल जैन पुत्र कन्हैया लाल जैन निवासी शहर सवाई माधोपुर प्रो0 कन्हैयालाल रतनलाल जैन छतरी बाजार सब्जी मण्डी शहर सवाई माधोपुर
3. हिमांशु शर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार शर्मा किशोर पुरा नहर के पास ई–7 आर पी एस कॉलोनी रीझाला न्यू ग्रीन मंडी कोटा राजस्थान 324007 नोमिनी शिव एडिवल्स लिमिटेड एसपी 1 एण्ड 2, रिक्को एग्रो फूड पार्क रामपुर कोटा राजस्थान 325003
4. शिव एडिवल्स लिमिटेड एसपी 1 एण्ड 2, रिक्को एग्रो फूड पार्क रामपुर कोटा राजस्थान 325003

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 17/7/23

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 23.02.2018 को समय 03.30 पी.एम. पर मैसर्स विष्णु ट्रेडर्स खण्डार जिला सवाई माधोपुर पर पहूँचा। वहॉं पर ललित गुप्ता पुत्र श्री शंकरलाल मथुरिया जाति महाजन निवासी खण्डार जिला सवाई माधोपुर मिला आवेदक ने विक्रेता को अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं होना जाहिर किया। तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया विकय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ **रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (सदाबहार) 500 मिली. की बोतले** दुकान में रखी मिली के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (सदाबहार) की चार बोतल** वास्ते नमूना जॉच हेतु कय कर राशि 180/– रूपये नकदी चुकाकर

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:07:31 IST
Reason: SelfAttested

रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है, उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, विक्रेता ने मौके पर खाद्य पदार्थ **रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (सदाबहार)** का फर्म कन्हैयालाल रतनलाल जैन छतरी बाजार सब्जी मंडी शहर सवाई माधोपुर का बिल पेश किया ।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ **रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (सदाबहार) 500 मिली. की** चारो बोतलो को मूल ही लेकर चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान दिनांक खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर कर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को प्रत्येक नमूना भाग पर अलग–अलग चिपकाकर डिब्बो को अलग–अलग ब्राउन पेपर से लपेटकर पेपर के सिरो को गोंद से चिपकाकर डिब्बो पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर **H-1385** गोंद से नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी करके प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहान के हस्क्षार करवाकर नमूने पर पूर्ण विवरण लिखकर स्वंय आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भाग को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता ललित गुप्ता पुत्र श्री शंकरलाल मथुरिया एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा 02 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में श्री गजानंद लोधा द्वारा खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ.(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2018/1706 दिनांक 28.03.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 218/एफएसएसए/कोटा/ एक्ट/2018/246 दिनांक 22.03.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (सदाबहार)** मिसब्राण्डेड पाया गया।

फर्म कन्हैयालाल रतनलाल जैन छतरी बाजार सब्जी मंडी शहर सवाई माधोपुर को फर्म के खाद्य अनुज्ञापत्र जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं खाद्य पदार्थ **रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (सदाबहार)** का **खरीद बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा जिस पर उसके द्वारा खाद्य अनुज्ञापत्र एवं खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (सदाबहार) का खरीद बिल मैसर्स शिव एडिबल्स लिमिटेड एसपी 1 एण्ड 2, रिक्को एग्रो फूड पार्क रामपुर कोटा राजस्थान** 325003 का प्रस्तुत किया।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:07:31 IST
Reason: SelfAttested

मैसर्स शिव एडिबल्स लिमिटेड एसपी 1 एण्ड 2, रिक्को एग्रो फूड पार्क रामपुर कोटा राजस्थान 325003 को फर्म के खाद्य अनुज्ञापत्र जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं फर्म मालिक भागीदार नोमिनी हेतु पत्र लिखा जिस पर फर्म द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये।

उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्त ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ **रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (सदाबहार)** का विक्रय एवं निमार्ण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(।।) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर अभियोग पत्र स्वीकर कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकत्तम शारिस्त राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं/जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ **रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (सदाबहार)** का विक्रय एवं निमार्ण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा विधिक नियमों के अनुसार न तो सेम्पल लिया न ही प्रकरण को बनाने के लिए आवश्यक नियमों की पालना की गई है। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में सेम्पल को मिसब्राण्डेड बताया गया है किन्तु किन नियमों के उल्लंघन करने के कारण सेम्पल मिसब्राण्डेड किया गया है, का उल्लेख नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा बहस के अन्त में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त कर अभियुक्तगण को दोष मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 218/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2018/246 दिनांक 22.03.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (सदाबहार)** मिसब्राण्डेड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया गया है। जहॉ तक वकील अभियुक्त द्वारा बहस में यह तर्क दिया गया है कि प्रकरण में आवेदक द्वारा विधिक नियमों के अनुसार न तो सेम्पल लिया न ही प्रकरण को बनाने के लिए आवश्यक नियमों की पालना की गई है तो उक्त संबंध में वकील अभियुक्तगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत पत्रावली में पेश नहीं किया है जिससे साबित हो सके कि प्रकरण में विधिक नियमों की पालना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त यह तर्क कि खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में उक्त नियमों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सेम्पल को किन नियमों के उल्लंघन करने के कारण मिसब्राण्डेड माना गया है, मान्य नहीं है। उक्त संबंध में खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में अंकित है कि NOT GIVEN LOGO OF FORTIFICATION AS GIVEN IS SCHEDULE-II CONTRAVENTION TO FOOD SAFETY & STANDARDS

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:07:31 IST
Reason: SelfAttested

(FORTIFICATION OF FOODS) REGULATION 2017 अर्थात् खाद्य सुरक्षा एवं मानक (फोर्टिफीकेशन ऑफ फूड) विनियमन 2017 के SCHEDULE-II के अनुसार Fortified with....., SAMPOORNA POSHAN SWASTHA JEEVAN का लोगो उत्पाद पर प्रदर्शित नहीं किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (फोर्टिफीकेशन ऑफ फूड) विनियमन 2017 का उल्लंघन है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ **रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (सदाबहार)** का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त 1 लगा. 4 पर संयुक्त रूप से 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:07:31 IST
Reason: SelfAttested